

जावक क्र 796/८३

11/7/2013

## संघोंमि. - नियमावली

1. सोसायटी का नाम : एनवायरमेंट एण्ड सोशल वेलफेर
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय: म.नं. 16, मुहल्ला का नाम—विद्याधर, कॉलोनी—खजुराहो, तहसील—राजनगर जिला—छतरपुर मध्यप्रदेश होगा।
3. सोसायटी का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत होगा।
4. सोसायटी के उद्देश्य — जो ज्ञापन में अंकित हों वही लिखें —



- शिक्षा के क्षेत्र में चहुँमुखी विकास एवं प्रसार हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं व्यवस्था तथा संचालन करना।
- भारतीय परम्परा एवं संस्कृति के अनुसार बालकों में आदर्श नैतिकता, चरित्र का निर्माण करना।
- बालकों का सर्वांगीण विकास करना।
- स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना एवं स्वरोजगार केन्द्र की स्थापना करना।
- पर्यावरण प्रबंध एवं प्रदूषण नियंत्रण पर सेमीनार करना एवं चेतना केन्द्र की स्थापना करना।
- समाज कल्याण हेतु आवश्यक जागरूकता जाग्रत करना। पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम करना और उन्हें क्रूरता एवं अत्याचारों से बचाने के लिये पशुग्रहों का निर्माण कराना एवं उनकी दशा सुधारना तथा उनके हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना।
- आधुनिक तकनीक प्रणाली, कम्प्यूटर, खेल, संगीत, कला, साहित्य, एवं हिन्दी, अंग्रेजी, ऊर्दू एवं अन्य भाषाओं का शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार करना।
- शोध केन्द्रों की स्थापना करना।

अध्यक्ष

**PRESIDENT**

Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

सचिव

**SECRETARY**

Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)


192

**कोषाध्यक्ष**

**TREASURER**

Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

- (5) सदस्यता—सोसायटी में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।
- अ— संरक्षक सदस्य :— सोसायटी को जो व्यक्ति शुल्क के रूप में रुपये 10,000/- या अधिक एक मुश्त या एक साल में 12 किस्तों देगा वह सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा।
- ब— आजीवन सदस्य :— जो व्यक्ति सोसायटी को शुल्क के रूप में 5000/- रुपये या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 5000 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
- स— साधारण सदस्य :— जो व्यक्ति रुपये 50/- प्रति माह, रुपये 600/- प्रतिवर्ष सोसायटी को शुल्क के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने शुल्क दिया है जो सदस्यता समाप्त हो जायेगी ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तक बकाया शुल्क की राशि देने पर पुनः विचार कर सदस्य बनाया जा सकता है।
- द— सम्माननीय सदस्य :— सोसायटी की प्रबन्धकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है, उसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, किन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।
- (6) सदस्यता की प्राप्ति :— प्रत्येक व्यक्ति जो सोसायटी का सदस्य बनने का इच्छुक लिखित रूप से आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन—पत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके लिए आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- (7) सदस्यों की योग्यता :— सोसायटी का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित एकता होना आवश्यक है।
1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
  2. भारतीय नागरिक हो।
  3. सोसाइटी के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
  4. सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।
- (8) सदस्यता की समाप्ति :—
- सोसायटी की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।
1. मृत्यु हो जाने पर।
  2. पागल हो जाने पर।
  3. सोसाइटी को देय शुल्क की रकम नियम—5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
  4. त्यागपत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
  5. चारित्रिक दोष होने पर ओर कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी।
- (9) सोसायटी कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी जिनमें निम्न व्योरे दर्ज किये जायेंगे :
1. प्रत्येक सदस्य का नाम, एवं व्यवसाय एवं पता।
  2. वह तारीख जिसको सदस्यों का प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर।
  3. वह तारीख जिसमें सदस्या समाप्त हुई हो।



**अध्यक्ष**  
**PRESIDENT**

Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)



**सचिव**  
**SECRETARY**

Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)



**कोषाध्यक्ष**  
**TREASURER**

Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

10. (अ) साधारण सभा :— साधारण सभा के नियम-5 में दर्शाये गये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार अनिवार्य होगी, बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा, सोसायटी की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के अन्दर बुलाई जावेगी। उसके सोसायटी के पदाधिकारियों की विधिवत निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता, तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह सोसायटी की आम सभा का आयोजन किसी जिसमें दर्शक कर्मचारी के मार्गदर्शन एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

**प्रबन्धकारिणी सभा :-**

प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का ऐजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जानी आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्य की होगी। यदि उनका कोरम पूर्ण नहीं होता है, तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित कर जाकर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

स विशेष :-

यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजी की संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजी जावेगा। पंजीयक को इस संवंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा सोसायटी का परामर्श देने का अधिकार होगा।


(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

- (क) सोसायटी के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) सोसायटी के स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- (च) सोसायटी द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृति करना।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना।

(12) प्रबन्धकारिणी का गठन :— ट्रस्टीज यदि कोई समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम-5 (अ.ब.स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम जो रजिस्ट्री में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

- (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव
- (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य-दो
- (6) उपसंचालक शिक्षा पदेन सदस्य, संस्था प्राचार्य, पदेन सदस्य, शासकीय प्रतिनिधि पदेन सदस्य

(13) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :— प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तब जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाया करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा।

  
अध्यक्ष  
**PRESIDENT**


Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

  
सचिव  
**SECRETARY**  
Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

  
कोषाध्यक्ष  
**TREASURER**  
Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

- (14) प्रबन्धकारिणी समिति का अधिकार एवं कर्तव्य :—
- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सोसायटी का गठन हुआ है कि उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
  - (ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
  - (स) सोसायटी एवं उसके अधीन संचालित संस्था के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। सोसायटी की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
  - (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
  - (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर पर सोचें गये।
  - (च) सोसायटी की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
  - (छ) सोसायटी की कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरिक नहीं की जावेगी।
  - (ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर सोसायटी विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विर्माश कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों  $\frac{2}{3}$  मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

- (15) अध्यक्ष के अधिकार :— अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों को आयोजन करवायेगा अध्यक्ष का मत समान मत होने विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।
- (16) उपाध्यक्ष के अधिकार :— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
- (17) सचिव के अधिकार :—
1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा जो सुझाव प्राप्त हो, प्रस्तुत करना।
  2. सोसायटी का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
  3. सोसायटी के सारे कागजादों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना तथा अनियमितिता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबन्धकारिणी को देना।
  4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 1000/- खर्च करने का अधिकार होगा।
- (18) संयुक्त सचिव के अधिकार :— सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का उपयोग करना।
- (19) कोषाध्यक्ष के अधिकार :— सोसायटी के धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

  
अध्यक्ष  
**PRESIDENT**

Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

  
सचिव  
**SECRETARY**  
Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

  
कोषाध्यक्ष  
**TREASURER**  
Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

(20) बैंक खाता :— सोसायटी की समस्त निधि किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के किन्हीं दो संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 500/- रहेंगे।

(21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :—

(1) अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सोसायटी की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित फीस के साथ सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा कार्यकारिणी समिति की सूची फायल की जावेगी।

(2) अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत अप्रैल माह 30 तारीख से 90 दिन के भीतर सोसायटी एवं संचालित संस्थाओं को संपरीक्षित आय-व्यय पत्रक, ऑडिट रिपोर्ट तथा बैलेन्स शीट सहित निर्धारित फीस के साथ भेजे जावेंगे।

(22) संशोधन :— सोसायटी के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा यदि आवश्यक हुआ तो सोसायटी के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें को होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संशोधन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर, निर्धारित फीस के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

(23) विघटन :— सोसायटी का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित किया जावेगा विघटन के पश्चात सोसायटी की चल-अचल सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित होगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(24) सम्पत्ति :— सोसायटी की समस्त चल-अचल सम्पत्ति सोसायटी के नाम से रहेगी। सोसायटी की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित आन्तरित नहीं की सकेगी। अनुज्ञा हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित फीस के साथ किया जावेगा।

(25) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :— सोसायटी की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एण्ड, सोसायटी को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही, बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(26) विवाद :— सोसायटी में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों का संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार की और निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा, संबंधित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न रहने पर निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

अध्यक्ष  
**PRESIDENT**

Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

सचिव  
**SECRETARY**

Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

कोषाध्यक्ष  
**TREASURER**

Environment And Social Welfare Society  
Khajuraho, Distt. Chhatarpur (M.P.)

Munshi  
(मुंगला पुर्काय)  
अधिकारी  
रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ  
जगत संभास सागर

V.K. Saini  
Signature

  
कोषाध्यक्ष  
**TREASURER**



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

34AA 637913



Canceled

20/01/2013

प्रमाणित प्रतिलिपि

संस्था का नाम एनवाईएसैट एंड सोशल पेलफ़ियर,  
संस्था का पता भा.नं. 16 विद्याधार  
कालोनी उबजुराहा तह राजनगर जिला हुम्रपुर  
फैजिल क्रमांक २००७ दिनांक ३१/१२/२००० व संशोधित  
को इमारत/नियमावली/प्रमाण पत्र/कार्यालय का  
की नकल के साथ यह स्ताय तोमर है।

सहावक पंजीयक

मार्फ़ एवं संस्थाएं सागर संभाग सागर

कार्यालय असि.रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग, सागर  
नियर पीटीसी ग्राउण्ड, गोपालगंज, सागर

क्रमांक / सीएन - 766 / 680/13 सागर दिनांक 29/6/2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव

एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेर समिति  
म.नं. 16 विद्याधर कालोनी, खजुराहो जिला - छतरपुर

चिप्पी - संशोधन बाबत |  
संदर्भ - आवेदन दिनांक 17.6.2013

उक्त संदर्भित विषय में अवगत कराया जाता है कि समिति के पंजीकृत नियंत्रण के बिन्दु - 3.5(स) 10(ब) में प्रस्तावित संशोधित प्रावधानों का अनुमोदन दिया जाता है। संशोधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें।

Munegowda  
(अधिकारी)  
फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग, सागर  
Firms & Societies

